राजस्व वाद संख्या 91/2012 अनवान सरकार बनाम दलीपसिंह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु

17.07.2018 पत्रावली पेश हुई पैरोकार राज उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि पैरोकराज द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के वारिसान की सूची के सन्दर्भ में कथन किया गया कि प्रतिवादीगण के वारिसान का कर पूर्ण पता नहीं है, जिसके कारण संशोधित शीर्षक पेश किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादीगण के वारिसान की पता लगनें पर ही संशोधित शीर्षक पेश कर दिया जावेगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण वर्ष 2012 से विचाराधीन है तथा अभी तक प्रतिवादीगण के वारिसान का पूर्ण पता तथा वारिसान के सम्बध में जानकारी नहीं होनें के कारण मृतक के विरूद्ध वादपत्र चलाया जाना जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर प्रतिवादी गण के वारिसान का पूर्ण पता प्राप्त होनें पर वाद में वर्णित भूमि के सन्दर्भ में पुनः मौका स्थिति अनुसार वाद पत्र पेश करनें हेतु स्वतन्त्र है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिंनाक 17.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर